पुस्तक आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

1. पुस्तकें खरीदने के क्रयादेश (Purchase Order) की तिथि दिनांक **(आदेश की दिनांक)** से 07 दिन के अंदर पुस्तकें आपूर्ति करने के संबंध में अपनी सहमति भेजें।
2. पुस्तकें क्रयादेश के तिथि से **15 दिनों** के भीतर पुस्तकों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा क्रयादेश स्वत: निरस्त माना जाएगा।
3. अंग्रेजी एवं हिंदी पुस्त कों पर कम से कम **20% छूट** देना अनिवार्य होगा।
4. निर्धारित अवधि के अंदर क्रयादेशित पुस्तकों की **75% से कम आपूर्ति होने पर 10 %** अतिरिक्त राशि काटी जाएगी।
5. पुस्तक का उपलब्ध नवीनतम संस्करण एवं अंकित मूल्य (Printed Price) ही खरीद हेतु मान्य होगा।
6. मूल रूप से विदेशी पुस्तकों का मूल्य प्रमाण-पत्र देना होगा। क्रयादेश के दिनांक के दिन की ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित परिर्वतन दर (Conversion Rate) टी. टी. सेलिंग दर (TT Selling Rates) ही मान्य होगी।
7. विदेशी पुस्तकों के बिलों के साथ आपको अपना क्रयादेश बीजक (Invoice) भी देना होगा।
8. क्रयादेशानुसार यदि पुस्तकें नहीं पाई गई तो उन पुस्तकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. डाक व्यय और परिवहन व्यय प्रकाशन एवं अलग वितरक को देना होगा तथा पुस्तकों की डोर डिलेवरी (Door Delivery) करानी होगी।
10. जीएसटी व आयकर संबंधी पैन/टैन (PAN/TAN) नंबर देना अनिवार्य होगा।
11. आपूर्ति के उपरांत यदि कोई पुस्तकें डिफेक्टिव (पृष्ठ खराब होना, पृष्ठों के रिपिटीशन होना, पृष्ठ उल्टे-पुल्टे होना आदि-आदि) पायी गई तो उन पुस्तकों को नई पुस्तके से बदलना होगा। भले ही उन पुस्तकों की पुस्तकालय में प्रविष्टि दर्ज कर ली गई हो।
12. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें तीन साल से ज्यादा की अवधि की नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पुस्तकों के रिमेंडर माना जाएगा, जिस पर अतिरिक्त छूट देना होगा।
13. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें मूल प्रकाशक की होनी चाहिए। पुस्तकें नकली (Fake) होने की स्थिति में उसका भुगतान नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आपूर्तिकर्ता ही किसी विधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
14. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों का भुगतान उसके स्वरूप के आधार पर यथा – पेपरबैक/हार्डबाउंड/ इंटरनेशनल संस्करण के अनुसार किया जाएगा।
15. भुगतान हेतु बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, बैंक शाखा का स्थान तथा आई.एफ.एस.सी. कोड बीजक के साथ अनिवार्यत: प्रस्तुत करें।
16. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के न्यायालयीन वाद विवाद का क्षेत्र वर्धा न्यायिक क्षेत्र होगा।